राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18/2023

अपीलांटगण–

1. श्री उम्मेदसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी सिमरखिया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंटगण –

1 श्री पुखराजसिंह पुत्र सवाईसिंह
2 श्री प्रभुसिंह पुत्र सवाईसिंह
3 श्रीमती दाखू कंवर पत्नी सवाईसिंह
4 श्रीमती कमला कंवर पत्नी अखेसिंह
5 श्री जसवन्तसिंह पुत्र आईदानसिंह
6 श्री राणसिंह पुत्र हरीसिंह
7 श्री सरेकंवर पत्नी हरीसिंह
8 श्री भीखसिंह पुत्र खेतसिंह
9 श्री भैरूसिंह पुत्र खेतसिंह
10 श्री हनुमानसिंह पुत्र खेतसिंह
11 श्रीमती गोमती कंवर पत्नी खेतसिंह
12 श्री डूंगरसिंह पुत्र बीजराजसिंह
13 श्री मोहनसिंह पुत्र बीजराजसिंह
14 श्री भगवानसिंह पुत्र बीजराजसिंह
15 श्री अचलसिंह पुत्र बीजराजसिंह जातियान राजपुरोहित, निवासीयान सिमरखिया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा
16 तहसीलदार पचपदरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/655 दिनांक 29.12.2004 जो प्रशासन आपके द्वार अभियान के दौरान तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री भुंजाराम पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 8 ता 15 की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 30.07.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/655 दिनांक 29.12.2004 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर में दिनांक 05.05.2022 एवं इस न्यायालय में दिनांक 01.11.2023 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सिमरखिया तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 109, 139, 148, 285, कुल रकबा 79.16 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.12.2004 को प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/655 दिनांक 19.12.2004 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.11.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 8 से 15 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नंबर 109 व 139 अपीलांट व रेस्पोडेंट के संयुक्त खातेदारी की भूमि अवश्य थी मगर खसरा नंबर 148, 285 की भूमि संयुक्त खातेदारी की नहीं रही। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 ने मिल कर आपसी सहमति से संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन का बंटवाड़ा दिनांक 29.12.2004 को करवाया। वक्त बंटवाड़ा समस्त पक्षकारान मौके पर उपस्थित थे एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव पर अंगुष्ठ निशान किये हुए है। उक्त आलोच्य बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। तब से लेकर आज रोक तक रेस्पोडेंटगण संख्या 8 से 15 अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज कास्त है। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से अपने आपसी बंटवाड़े के अनुसार काबिज है। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 के द्वारा वर्ष 2004 में किये गये बंटवाड़े के अनुरूप अपने हिस्से में

जिला कलक्टर
बालोतरा

आई भूमि का पुनः आपस में बंटवाड़ा वर्ष 2018 में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष बतौर संयुक्त खातेदार अपीलांट व रेस्पोडेंगण संख्या 1 ता 7 के नाम से अलग अलग खातेदार के तौर पर दर्ज की गई। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 के द्वारा वर्ष 2018 के आपसी बंटवाड़े को आज रोज तक किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि खसरा नंबर 109, 139, 148, 285 कुल रकबा 79.16 बीघा मौजा सिमरखिया, तहसील पचपदरा में अवस्थित है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की संयुक्त खातेदारी की थी। अपीलांट उक्त आलोच्य बंटवाड़ा में न ही मौजूद था, और न ही उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये, जो अपीलांट का नाम लिखा है वह अपीलांट का फर्जी हस्ताक्षर है। रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 15 व अनेके पूर्वजों ने हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए अपने हिसाब से समझौता प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये व अपीलांट के बिना उपस्थित में उक्त विवादित भूखण्ड का बंटवाड़ा आदेश पारित करवाया गया। उक्त बंटवाड़े में किये अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर करने पर अपीलांट द्वारा एफ आई आर दर्ज करवाई गई। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 15 मे मध्य बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोडेंट के कब्जे में चले गये है। वर्तमान में अपीलांट के हक हिस्से व कब्जे काश्त काश्त में उतरदातागण हस्तक्षेप करने लगे तथा अपीलांट को बेदखल कराने का प्रयास किया जाने लगा। इस हेतु अपीलांट द्वारा तहसील पचपदरा से दिनांक 27.04.2022 को नकले प्राप्त हुई, तब अपीलांट को को सर्वप्रथम गलत रूप से रेस्पोडेंटगण द्वारा धोखे से करवाये गये विभाजन की जानकारी हुई। उक्त खसरान में पारित सहमति बंटवाड़ा को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा पुनः नये सिरे से मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किये जाने का करने का श्रम करावे। अपीलाधीन आदेश उससे पूर्व किया बंटवाड़ा कानूनी बिन्दु के पूर्ण निस्तारण नहीं होने से, एक पक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने व मौके पर भैतिक कब्जा काश्त के अनुसार न होने से उक्त आलोच्य अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 दौराने बहस बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

7. रेस्पोडेंटगण संख्या 8 ता 15 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि उभयपक्षारान के की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा 109, 139, 148, 285, कुल रकबा 79.16 बीघा मौजा सिमरखिया तहसील पचपदरा में अवस्थित है। समस्त पक्षकारान दिनांक 29.12.2004 को आपसी सहमति से प्रशासन आपके द्वार कैंप 2004 में उक्त आलोच्य विभाजन आदेश पारित करवाया गया है। खसरा नंबर

जिला कलक्टर
बालोतरा

109 व 139 अपीलांट व रेस्पोडेंट के संयुक्त खातेदारी की भूमि अवश्य थी, मगर खसरा नंबर 148, 285 की भूमि संयुक्त खातेदारी की नहीं रही। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 ने मिल कर आपसी सहमति से संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन का बंटवाड़ा दिनांक 29.12.2004 को करवाया। वक्त बंटवाड़ा समस्त पक्षकारान मौके पर उपस्थित थे एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव पर अंगुष्ठ निशान किये हुए है। उक्त आलोच्य बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। तब से लेकर आज रोक तक रेस्पोडेंटगण संख्या 8 से 15 अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज कास्त है। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण अपने अपने आपसी बंटवाड़े के अनुसार काबिज है। नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा कास्त में कोई भिन्नता नहीं है न ही किसी की ढाणी व बाड़े एक दूसरे के कब्जे में आते है। समस्त पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में किया गया जो पूर्णत विधिक रूप से स्वेच्छिक इच्छा से पारित किया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 के द्वारा वर्ष 2004 में किये गये बंटवाड़े के अनुरूप अपने हिस्से में आई भूमि का पुनः आपस में बंटवाड़ा वर्ष 2018 में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष बतौर संयुक्त खातेदार अपीलांट व रेस्पोडेंगण संख्या 1 ता 7 के नाम से अलग अलग खातेदार के तौर पर दर्ज की गई। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 के द्वारा वर्ष 2018 के आपसी बंटवाड़े को आज रोज तक किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को खसरा नंबर 139 राजस्व रेकर्ड से हटा दिया, लेकिन अपीलांट को एक खसरे से हटाकर दूसरे खसरे में अधिक जमीन दी गई है। अपीलांट द्वारा फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। इस संबंध में सहायक कलक्टर, बालोतरा में प्रकरण विचाराधीन है। किसी भी आराजी का एक बार आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो उसका पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। अगर अपीलांट को आपत्ति होती तो वर्ष 2018 में आपसी सहमति से बंटवाड़ा न करवाकर उस समय वर्ष 2004 के बंटवाड़े का चुनौति देते, लेकिन अपीलांट द्वारा ऐसी कोई चुनौति नहीं दी गई है। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा पेश की गई अपील झूठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर एवं म्याद बाहर होने से खारीज योग्य है।

8. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा सिमरखिया, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 109, 139, 148, 285, कुल रकबा 79.16 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.12.2004 को प्रशासन न्याय आपके द्वार 2004 में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं।

जिला कलक्टर
बालोतरा

इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/655 दिनांक 19.12.2004 पारित किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की मुख्य आपति है कि वक्त बंटवाड़ा अपीलांट उपस्थित नहीं था तथा अपीलांट के हस्ताक्षर फर्जी होना बताया गया। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबुत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलांट वक्त विभाजन उपस्थित नहीं था व हस्ताक्षर फर्जी साबित हो। साथ ही वर्ष 2018 में वादग्रस्त भूमि का पुनः सहमति से विभाजन करवाया गया, जिसमें अपीलांट भी पक्षकार था तथा प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा इसका कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त आरजियों के खसरा नंबर 109, 139, 148, 285, कुल रकबा 79.16 बीघा के संबंध में अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा में भी धारा 53, 88, 188 के तहत बंटवारा एवं निषेधाज्ञा का दावा भी विचाराधीन है। चूंकि मामला न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा में बंटवारे हेतु विचाराधीन है एवं पूर्व में तहसीलदार पचपदरा द्वारा किया गया बंटवारा आम सहमति एवं अपीलांट की सहमति से किया गया है। अतः इस प्रकार अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने व अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश आदेश क्रमांक/राजस्व/655 दिनांक 29.12.2004 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा